क्रम–संख्या–33

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 29 जनवरी, 2018

माघ 9, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 194/79-वि-1–18-2(क)-5-2018

लखनऊ, 29 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2018) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2018

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2018)

[भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2018 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक में संशोधन

2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक में शब्द "बाजार, वधशाला" के स्थान पर शब्द "बाजार" रख दिया जाएगा।

धारा 197 का निकाला जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 197 निकाल दी जाएगी।

धारा 198 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 198 में पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं" के स्थान पर शब्द "धार्मिक प्रयोजनार्थ वध" रख दिये जायेंगे।

राम नाईक,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 194 (2)/LXXIX-V-1–18-2(ka)-5-2018
Dated Lucknow, January 29, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat tatha Zila Panchayat (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 5 of 2018) promulgated by the Governor.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2018

(U.P. ORDINANCE NO. 5 OF 2018)

[*Promulgated by the Governor in the Sixty-ninth Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :–

Short title and extent

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhyadesh, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

Amendment of the heading appearing before section 197

2. In the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Act, 1961 hereinafter referred to as the principal Act, in the heading appearing before section 197, for the words "MARKETS, SLAUGHTER-HOUSES", the word "MARKETS" shall be *substituted.*

3. Section 197 of the principal Act shall be *omitted.* Omission of section 197

4. In section 198 of the principal Act, in the marginal heading for the words, "not slaughtered for sale" the words "slaughtered for religious purpose" shall be *substituted.* Amendment of section 198

RAM NAIK,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 839 राजपत्र–(हि0)–2018–(2609)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 167 सा० विधायी–2018–(2610)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।